(18) (13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1572–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–3–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी प्रकरण कमांक 48/अ–6/2013–14 अपील.

ओमप्रकाश पुत्र मनोहर लाल मिश्रा
निवासी हरदा रोड, स्टेशन एरिया टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती ममता पुत्री मनोहरलाल पत्नी राकेश
निवासी गांधी नगर कॉलौनी, सिविल लाईन बैतूल
तहसील व जिला बैतूल
2– श्रीमती अनुराधा पुत्री मनोहरलाल पत्नी अरविंद
निवासी अग्रवाल कॉलौनी, स्नेह उद्योग
गढ़ा रोड, जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर
3– श्रीमती अनीता पुत्री मनोहरलाल पत्नी विजय
निवासी आजाद नगर, सी सेक्टर 325, भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीक्षक, भू–अभिलेख, हरदा द्वारा ग्राम टिमरनी की (परिवर्तित भूमि) संशोधन पंजी कमांक 221 पर पारित आदेश दिनांक 6–1–05 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष

दिनांक 10–6–14 को प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 48/अ–6/2013–14 अपील दर्ज कर दिनांक 24–3–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील 15 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी का स्रोत एवं जानकारी का दिनांक नहीं बताया गया है, और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है, जबकि प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना कानूनन आवश्यक है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी आवेदक की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है, अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं अनावेदकगण भाई–बहन हैं, अतः अनावेदकगण को फौती नामांतरण का अधिकार है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा न तो उद्‌घोषणा प्रकाशित की गई, और न ही अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की जानकारी के बिना ही आदेश पारित किया गया है, इसलिए विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधन प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा किया गया है, जो अवैधानिक है, और अवैधानिक आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, जिसमें समय–सीमा का कोई बंधन नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण, जो कि मृतक भूमिस्वामी की वारिस हैं, को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा

109 व 110 के अन्तर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 का स्पष्ट उल्लंघन है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर